

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या - 17-प्रशिक्षण संस्थान (उपस्कर क्रय)-361/2018..... पटना, दिनांक:

4848

03.03.20

शुद्धि पत्र

निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या-1172 दिनांक 18.07.2019 एवं संशोधित स्वीकृत्यादेश संख्या- 339 दिनांक 19.02.2020 द्वारा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के कार्यालय एवं नव निर्मित छात्रावास में उपस्कर/फर्निचर की आपूर्ति हेतु कुल 38,90,130/- (अड़तीस लाख नब्बे हजार एक सौ तीस) रुपये मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यदेश संख्या-1172 दिनांक 18.07.2019 की कंडिका-4 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

2. भवन निर्माण विभाग के पत्रांक- 1722 (भ0) दिनांक 25.02.2020 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक- 1172 दिनांक 18.07.2019 के द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश की कंडिका- 4 में अंकित "राशि की निकासी सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार के बदले सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना पढ़ा जाय।"
3. भवन निर्माण विभाग के पत्रांक- 9140 (भ0) दिनांक 15.10.2019 के आलोक में निदेशालय के संशोधित स्वीकृत्यादेश संख्या- 339 दिनांक 19.02.2020 द्वारा कंडिका- 3 के संबंध में निर्गत शुद्धि पत्र यथावत् रहेगी।
4. स्वीकृत्यादेश संख्या-1172 दिनांक 18.07.2019 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

ह0/-

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-प्रशिक्षण संस्थान (उपस्कर क्रय)-361/2018.....पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं हक), बिहार, बीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-प्रशिक्षण संस्थान (उपस्कर क्रय)-361/2018.....पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-प्रशिक्षण संस्थान (उपस्कर क्रय)-361/2018.....पटना, दिनांक :- 28-02-2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण